प्रेस नोट

भोपाल, दिनांक 25.2.2015

माननीय वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया ने आज मध्यप्रदेश विधान सभा में वर्ष 2015-2016 का बजट प्रस्तुत किया है जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार हैं:-

- वर्ष 2015-2016 के बजट में कुल व्यय ₹ 131199.06 करोड़ का प्रावधान एवं कुल विनियोग राशि ₹ 142094 करोड़।
- वर्ष 2015-2016 के लिये ₹ 5587.97 करोड़ का राजस्व आधिक्य।
- वर्ष 2015-2016 का राजकोषीय घाटा ₹ 16745.33 करोड़ होना संभावित है।
- मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति अनुमानित।

- वर्ष 2015-2016 की अनुमानित राजस्व प्राप्तियां ₹ 114422.89 करोड़ है, जिनमें राज्य के स्वयं के कर की राशि ₹ 43447.69 करोड़, केन्द्रीय करों में प्रदेश का हिस्सा ₹ 30449.65 करोड़, करेतर राजस्व ₹ 10124.28 करोड़ एवं केन्द्र से प्राप्त सहायता अनुदान ₹ 30401.27 करोड़ शामिल है।
- वर्ष 2015-2016 में वर्ष 2014-15 के राज्य के स्वयं के कर राजस्व के बजट अनुमान से 11.43% की वृद्धि अनुमानित।
- वर्ष 2015-2016 में राजस्व व्यय ₹ 108834.92 करोड़ अनुमानित है जो वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान ₹ 99013.81 करोड़ से ₹ 9821.11 करोड़ अधिक है।
- वर्ष 2015-2016 का प्रारंभिक शेष ₹ (-) 129.32 करोड़ अनुमानित है। वर्ष के संव्यवहार अनुमानित ₹ (-) 383.79 करोड़ है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष के अंत में शुद्ध वित्तीय संव्यवहार ₹ (-) 513.11 करोड़ पर समाप्त होना अनुमानित है।
- वर्ष 2014-15 के आयोजना व्यय ₹ 54290.15 करोड़ के विरूद्ध वर्ष 2015-2016 में कुल आयोजना व्यय ₹ 60348.88 करोड़ प्रावधानित है। इस प्रकार आयोजना व्यय में ₹ 6058.73 करोड़ की वृद्धि अनुमानित है।
- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमान, वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान ₹ 11749.67 करोड़ से बढ़कर ₹ 12688.58 करोड़ हैं।
- अनुसूचित जाति उपयोजना के अंतर्गत वर्ष 2015-2016 के बजट अनुमान, वर्ष 2014-15 के बजट अनुमान ₹ 7903.80 करोड़ से बढ़कर ₹ 9064.41 करोड़ हैं।
- वर्ष 2015-16 का बजट प्रदेश के युवाओं की रोजगार संभावनायें बढ़ाने तथा निर्माण क्षमताओं में वृद्धि करके 'Make in Madhya Pradesh' को साकार करने के उद्देश्य से प्रेरित।

राजकोषीय स्थिति

- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजकोषीय घाटे का अनुपात 2.99 %
- सकल राज्य घरेलू उत्पाद से राजस्व आधिक्य का अनुपात 1.00 %
- ब्याज भुगतान का राजस्व प्राप्तियों से अनुपात 7.04 %

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

- प्रदेश को लगातार तीसरे वर्ष 'कृषि कर्मण अवार्ड' प्राप्त। जैविक खेती, जैविक उत्पादों आदि के विपणन को प्रोत्साहित करने हेतु राष्ट्रीय जैविक कृषि मेला व संगोष्ठी का आयोजन।
- आदान गुण नियंत्रण प्रयोगशाला अंतर्गत 9 बीज गुण, 6 उर्वरक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला आदि की स्थापना करने का लक्ष्य है। विगत 12 माह में 2 लाख 10 हजार मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार किये गये।
- कृषि प्रक्षेत्र के यंत्रीकरण में प्रदेश में हलधर योजना, यंत्रदूत योजना, निजी कस्टम हायरिंग सेंटर योजना एवं कृषि यंत्रों पर अनुदान की विभिन्न योजनाओं से फार्म पावर 0.80 किलोवाट प्रति हेक्टअर से बढ़कर 1.36 किलोवाट प्रति हेक्टअर।
- प्रदेश में खरीफ 2014 में धान उत्पादन 57 लाख मीट्रिक टन तथा रबी 2014 में गेहूँ उत्पादन 203 लाख मीट्रिक टन रहना अनुमानित।
- प्रदेश देश के अन्य राज्यों की तुलना में चना तथा सोयाबीन उत्पादन में पहले स्थान पर, गेहूँ, सरसों तथा मसूर उत्पादन में दूसरे स्थान पर। प्रदेश गेहूँ, मक्का, चना, राई-सरसों एवं सोयाबीन की उत्पादकता के साथ-साथ धान, ज्वार, बाजरा, मूंगफली एवं कपास की उत्पादकता में भी राष्ट्रीय औसत से ऊपर।

- वर्ष 2015-16 में उद्यानिकी फसलों का रकबा लगभग 75 हजार हेक्टअर बढ़ाये जाने का लक्ष्य।
- सहकारी बैंकों के माध्यम से वर्ष 2015-16 में ₹ 18 हजार करोड़ के ऋण वितरण का लक्ष्य।
- वर्ष 2015-16 में 100 मछली बाजारों का निर्माण किया जाना प्रस्तावित। मछुआ आवास योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में 500 आवास निःशुल्क प्रदाय किया जाना प्रस्तावित।
- आधुनिक तकनीक से पशु उपचार एवं निदान सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी जिलों में पॉलीक्लीनिक् एवं रोग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना का लक्ष्य।

भौतिक अधोसंरचना विकास

- वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग अंतर्गत 2,500 किलोमीटर नवीन सड़क निर्माण एवं 50 पुलों के निर्माण का लक्ष्य।
- जन-निजी भागीदारी अंतर्गत ₹ 33,000 करोड़ के निवेश से सड़क परियोजनाओं को क्रियान्वित करने का लक्ष्य।
- वर्ष 2015-16 में लोक निर्माण विभाग के सड़क एवं भवन कार्यों के लिये ₹ 5,911 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित, जो वर्ष 2014-

15 के बजट प्रावधान से ₹ 1,644 करोड़ अधिक है।

- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनांतर्गत वर्ष 2015-16 में 3,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण तथा 3,950 किलोमीटर सड़कों के नवीनीकरण के लिये ₹ 2,530 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत कुल 9,109 ग्रामों को जोड़ने हेतु 19,386 किलोमीटर की 7,575 सड़कें निर्माण का लक्ष्य। वर्ष 2015-16 में इस योजनान्तर्गत प्रगतिरत 921 सड़कें जिनकी लंबाई 2,841 किलोमीटर है को पूर्ण करने का लक्ष्य। योजनांतर्गत ₹ 261 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से लगभग 28.57 प्रतिशत अधिक है।
- ऊर्जा विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 9704.08 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹1718.67 करोड़ अधिक हैं।
- नवकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015-16 में कुल ₹ 54.64 करोड़ का प्रावधान।
- ₹ 2,000 करोड़ लागत की महत्वाकांक्षी नर्मदा-गंभीर लिंक परियोजना स्वीकृत। परियोजना से मालवा क्षेत्र में गंभीर नदी के कछार में 50 हजार हेक्टअर भूमि सिंचित होने के साथ-साथ निकटवर्ती आबादी को निस्तार जल की उपलब्धता भी सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही खण्डवा जिले की सिहाड़ा एवं अलीराजपुर की डाबरी उद्वहन सिंचाई की योजनायें प्रस्तावित।
- वर्ष 2015-16 में 2 लाख 50 हजार हेक्टअर सिंचाई क्षमता निर्मित किया जाना प्रस्तावित।
- वर्ष 2015-16 में सिंचाई कार्यों के लिये ₹ 7463 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹1748 करोड़ अधिक है।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में रोजगार एवं आजीविका के साधन उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015-16 के लिये 22 करोड़ मानव दिवस का लक्ष्य।
- वर्ष 2018 तक खुले में शौच को समाप्त करने का लक्ष्य। वर्ष 2015-16 में 15.65 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण तथा 300 ग्रामों में ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य किया जायेगा।
- इंदिरा आवास योजनांतर्गत 1 लाख 15 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में आवास की समस्या को देखते हुये मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में 1 लाख 50 हजार आवासों के निर्माण का लक्ष्य।
- वर्ष 2015-16 में 4 लाख परिवारों को स्वसहायता समूहों से जोड़ना, 3,500 स्वसहायता समूहों को बैंक लिकेंज के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराना, 90 हजार ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाकर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
- ग्रामीण विकास के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति करने और ग्रामों के समग्र विकास हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 11,070.58 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

नगरीय विकास

- योजनाबद्ध नगरीय विकास के लक्ष्य को पूर्ण करने हेतु वर्ष 2015-16 में 14 नगरों की विकास योजना तैयार करने का लक्ष्य। स्मार्ट सिटी की अवधारणा के अनुरूप शहरों का विकास।
- भोपाल एवं इंदौर शहरों में लाइट मेट्रो रेल परियोजना की प्रारंभिक कार्यवाहियां पूर्णता की ओर, जबलपुर एवं ग्वालियर के लिये फिजिबिलिटी स्टडी प्रारंभ। शहरी लोक परिवहन के सुगम संचालन हेतु पृथक से डेडिकेटेड अरबन ट्रांसपोर्ट फण्ड निर्मित किया गया है।
- मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना योजना अंतर्गत वर्तमान में प्रदेश के विभिन्न शहरों में ₹ 1,428 करोड़ के कार्य कराये जा रहे हैं।
- मुख्यमंत्री शहरी पेयजल योजना अंतर्गत ₹ 1,358 करोड़ के कार्य स्वीकृत हैं।

- मुख्यमंत्री शहरी स्वच्छता मिशन अंतर्गत 218 नगरीय निकायों में 1,77,807 व्यक्तिगत शौचालय तथा 634 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है।
- वर्ष 2018 तक शहरी क्षेत्रों में गरीबों के लिये 5 लाख आवास उपलब्ध कराने का लक्ष्य।
- नगरीय विकास की योजनाओं के अंतर्गत ₹ 1,500 करोड़ की लागत से लगभग 60 हजार शहरी गरीबों के आवास तथा राजीव आवास योजना अंतर्गत ₹ 841 करोड़ के 15,340 आवासों के निर्माण की स्वीकृति।
- अटल आश्रय योजना अंतर्गत भी ई.डब्ल्यू.एस. तथा एल.आई.जी. श्रेणी के कुल 10,556 आवास निर्मित।
- उज्जैन में संपन्न होने जा रहे सिंहस्थ के आयोजन हेतु ₹ 300 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- प्रदेश के नगरीय निकायों में ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिये ई-नगर पालिका परियोजना प्रारंभ। नगरीय क्षेत्रों में अधोसंरचना, स्वरोजगार तथा अन्य विकासात्मक गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 6,550 करोड़ के प्रावधान जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 415 करोड़ अधिक हैं।

पेयजल

- वर्ष 2015-16 में मध्यप्रदेश जल निगम के माध्यम से ₹ 1,000 करोड़ लागत की परियोजनायें प्रारंभ की जाना प्रस्तावित। 7,500 ग्रामीण बसाहटों में नलकूप खनन, 2,000 बसाहटों में नलजल योजना तथा 4,000 आँगनवाड़ियो में पेयजल उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित।
- लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 के बजट में ₹ 2,242 करोड़ का प्रावधान जलप्रदाय के कार्यों के लिये प्रस्तावित। जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से 6.25 प्रतिशत अधिक।

शिक्षा

- प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 15,749 करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 896 करोड़ अधिक हैं।
- 'स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय' अभियान अंतर्गत प्रदेश के समस्त विद्यालयों में शौचालय निर्माण का संकल्प।
- प्रदेश में माध्यमिक तथा उच्चतर माध्यमिक शिक्षा का व्यापक पैमाने पर विस्तार हेतु वर्ष 2015-16 में 100 माध्यमिक स्कूलों का हाई स्कूलों में एवं 100 हाई स्कूलों का हायर सेकेण्डरी स्कूलों में उन्नयन किया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश की शालाओं में वर्ष 2015-16 में 19 शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन निर्माण, 50 शासकीय हाई स्कूल तथा हायर सेकेण्डरी स्कूलों की बॉउन्ड्रीवाल तथा 2 छात्रावास भवनों के निर्माण किये जाने का लक्ष्य।

- वर्ष 2014-15 में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों का सकल पंजीयन अनुपात 20.04 प्रतिशत।
- महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन कराये जाने हेतु प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की गई है जिसके अंतर्गत 'ग्रेड ए' महाविद्यालयों को 15 लाख, 'ग्रेड बी ' महाविद्यालयों को 10 लाख एवं 'ग्रेड सी' महाविद्यालयों को 5 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
- उच्च शिक्षा की गुणवत्ता एवं उपलब्ध अधोसंरचना के सुधार हेतु राज्य में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को संचालित करने का निर्णय। विश्व बैंक की सहायता से भी उच्च शिक्षा में सुधार हेतु नवीन महत्वाकांक्षी परियोजना प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है।
- उच्च शिक्षा हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 2 हजार करोड़ के प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 683 करोड़ अधिक हैं।
- कौशल विकास मिशन के तहत् राज्य शासन के 25 विभाग कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में कार्यरत।
- अनौपचारिक रूप से प्रशिक्षित व्यक्तियों के पूर्व अर्जित ज्ञान के प्रमाणीकरण के लिये 'कारीगर समृद्धि योजना' प्रारंभ। वर्ष 2015-16 में भोपाल एवं ग्वालियर स्थित आई. टी. आई. का मॉडल आई. टी. आई. में उन्नयन तथा 25 नवीन आई.टी. आई. प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित।
- वर्ष 2015-16 में सभी शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालयों तथा 10 संभागीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को सेक्टर विशेष में 'सेंटर ऑफ एक्सेलेंस' बनाया जाना प्रस्तावित।
- तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 800 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 110 करोड़ अधिक है।
- जबलपुर, ग्वालियर एवं रीवा के चिकित्सा महाविद्यालयों में सुपर स्पेशयलिटी स्वास्थ्य सेवा हेतु ₹ 450 करोड़ की लागत की परियोजनायें संचालित की जाना प्रस्तावित।
- चिकित्सा शिक्षा हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 649 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 67 करोड़ अधिक है।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

- प्रदेश में विकसित सूचना प्रौद्योगिकी अधोसंरचना जैसे स्टेट डाटा सेंटर, स्टेट वाईड एरिया नेटवर्क आदि का उपयोग राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा सूचनाओं के संग्रहण एवं आदान-प्रदान में किया जा रहा है।
- प्रदेश के चार महानगरों में आई. टी. पार्कों तथा इलेक्ट्रानिक मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर्स की स्थापना का कार्य प्रगति तथा अत्याधुनिक तकनीक से माइक्रो-चिप निर्माण के लिये नई एनालॉग सेमीकंडक्टर नीति लागू।
- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 218 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

स्वास्थ्य

- नागरिकों को चिकित्सा सुविधायें 51 जिला चिकित्सालय, 66 सिविल अस्पताल, 334 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 1,171 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 9,192 उप-स्वास्थ्य केन्द्र, 53 विशेष नवजात केयर इकाई, 228 नवजात स्टेबलाईजेशन इकाई, 1,296 नवजात केयर कार्नर, 316 पोषण पुनर्वास केन्द्र, 1,412 प्रसव केन्द्र एवं 48,959 ग्राम आरोग्य केन्द्रों के नेटवर्क के माध्यम से उपलब्ध हैं। बड़े चिकित्सालयों की व्यवस्था प्रबंधन हेतु पृथक से प्रबंधक संवर्ग का गठन किया गया है।

- सभी जिला चिकित्सालयों में डायलिसिस की निःशुल्क व्यवस्था प्रारंभ की जाना प्रस्तावित। प्रदेश की स्वास्थ्य अधोसंरचना के विस्तार के लिये वर्ष 2015-16 में 324 निर्माण कार्य प्रस्तावित।
- शासकीय चिकित्सालयों में सूचना के आदान-प्रदान हेतु ई-हेल्थ साफ्टवेयर तथा औषधियों की आवश्यकतानुसार उपलब्धता सुनिश्चित करने की दृष्टि से स्टेट ड्रग मैनेजमेंट इनफारमेशन सिस्टम लागू किया गया है। आदिवासी क्षेत्रों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं के आंकलन एवं योजनाओं के प्रभावी क्रियान्यवन पर शोध के लिये जबलपुर में क्षेत्रीय जनजातीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान केन्द्र की स्थापना।
- लोक स्वास्थ्य सेवाओं के लिये लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 4,740 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

महिला एवं बाल विकास

- लाड़ली लक्ष्मी योजना में अब तक लगभग 19 लाख बेटियों को लाभान्वित किया जा चुका है। इस योजना के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 1,398 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
- प्रदेश के 20 जिलों में ग्राम पंचायत स्तर पर गठित शौर्य दल के नवाचार को सामाजिक क्षेत्रों का 'स्कॉच पुरस्कार' प्राप्त हुआ है। वर्ष 2015-16 में चरणबद्ध रूप से प्रदेश की शेष ग्राम पंचायतों में शौर्य दलों का गठन किया जाना प्रस्तावित।
- ग्रामीण महिलाओं के लिये उद्यमिता विकास एवं स्वरोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015-16 से तेजस्विनी महिला

सशक्तिकरण योजना का द्वितीय चरण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है। इस हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 65 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

- समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया को सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने हेतु तैयार की गई वेबसाईट 'अनमोल एडॉप्शन एमपी डॉट इन' को भारत सरकार से ई-गवर्नेंस का पुरस्कार प्राप्त हुआ है।
- आँगनवाडियों में मंगल दिवस कार्यक्रम, अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन योजना, विशेष आहार योजना, सबला योजना, इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग जैसी महत्वपूर्ण योजनायें संचालित। ग्रामीण स्तर पर कुशल तथा सक्षम सामुदायिक नेतृत्व क्षमता विकसित करने हेतु मुख्य मंत्री सामुदायिक नेतृत्व क्षमता योजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित।
- वर्ष 2015-16 में महिला एवं बाल विकास विभाग हेतु ₹ 4,483 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 427 करोड़ अधिक।

अनुसूचित जाति कल्याण

- वर्ष 2014-15 में 179 नवीन प्री मैट्रिक एवं 13 नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास स्वीकृत। प्री मैट्रिक छात्रावासों में 2,000 अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि। अखिल भारतीय सेवाओं की परीक्षा की तैयारी हेतु देश के उत्कृष्ट कोचिंग संस्थानों में 85 अभ्यार्थियों को प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता। अंतर्जातीय विवाह करने वाले दम्पति की प्रोत्साहन राशि ₹ 50,000 बढ़ाकर ₹ 2,00,000। विदेशों में अध्ययन हेतु आर्थिक सहायता के लिये विद्यार्थियों की निर्धारित संख्या 10 बढ़ाकर 50।
- वर्ष 2015-16 में 89 नवीन प्री मैट्रिक एवं 23 नवीन पोस्ट मैट्रिक छात्रावास तथा प्री मैट्रिक छात्रावासों में एक हजार अतिरिक्त सीट्स की वृद्धि प्रस्तावित।
- छात्रावास भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 9,064 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 1,160 करोड़ अधिक।

अनुसूचित जनजाति कल्याण

- न्यून साक्षरता प्रतिशत वाले जिलों में वर्ष 2014-15 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर स्वीकृत। वर्ष 2015-16 में 20 नवीन कन्या शिक्षा परिसर और खोले जाने एवं 40 कन्या शिक्षा परिसरों के भवन निर्मित किये जाना प्रस्तावित।
- 27,000 बालिकाओं को उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन राशि प्रदाय।
- वर्ष 2015-16 में 40 हाई स्कूलों का उच्चतर माध्यमिक शाला में तथा 20 माध्यमिक शालाओं का हाई स्कूल में उन्नयन, 20 प्री मैट्रिक एवं 20 पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, 2 नवीन क्रीड़ा परिसर तथा 10 आश्रम शालायें प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित।
- मेडीकल एवं इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं में प्रतिभागिता के लिये प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में 100-100 विद्यार्थियों को दो वर्ष की कोचिंग तथा 25-25 विद्यार्थियों को एक वर्ष की निःशुल्क कोचिंग की सुविधा दी जाने हेतु नवीन योजना प्रारंभ।
- आदिवासी क्षेत्र उपयोजना अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 12,688 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 938 करोड़ अधिक है।

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

- पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक हितग्राहियों के उत्थान के लिये प्री मैट्रिक तथा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना जैसी कल्याणकारी योजनायें निरंतर।
- पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 950 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 121 करोड़ अधिक है।

सामाजिक न्याय

- मध्यप्रदेश समग्र सामाजिक सुरक्षा मिशन के समग्र पोर्टल के माध्यम से कमजोर, निर्धन वर्ग, वृद्ध, श्रमिकों, निःशक्तजनों के साथ-साथ विधवाओं और परित्यक्त महिलाओं और उन पर आश्रित बच्चों को पात्रता अनुसार हितग्राही मूलक योजनाओं जैसे कि- पेंशन, छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना इत्यादि का लाभ। 10 योजनाओं में हितग्राहियों को राशियों का वितरण अब सीधे उनके बैंक खाते में। पोर्टल के माध्यम से अब तक 1,06,65,444 संव्यवहारों के माध्यम से पेंशन, छात्रवृत्ति, मनरेगा योजनांर्गत मजदूरी भुगतान आदि से संबंधित ₹ 7,396 करोड़ की राशि का भुगतान हितग्राहियों के खातों में किया गया है। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना एवं मुख्यमंत्री निकाह योजना के अंतर्गत अब तक 3,09,658 कन्याओं का विवाह एवं निकाह संपन्न।
- वर्ष 2015-16 में सामाजिक न्याय विभाग हेतु ₹ 1,359 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

खाद्यान्न सुरक्षा

- मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में प्रदेश के लगभग 117 लाख परिवारों को ₹ 1 प्रति किलोग्राम गेहूँ, चावल तथा मक्का उपलब्ध कराया जाना।
- वर्ष 2015-16 में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग हेतु ₹ 1,314 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।

धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व

- प्रदेश के वृद्धजनों को प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के दर्शन कराने की योजना में अब तक लगभग 2 लाख 42 हजार वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा कराई जा चुकी है। वर्ष 2015-16 में 80 हजार वृद्धजनों को तीर्थ यात्रा कराये जाने के लिये ₹ 85 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- वर्ष 2015-16 में धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व हेतु ₹ 117 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 19 करोड़ अधिक है।

खेलकूद, पर्यटन एवं संस्कृति

- खेलों के विकास एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु ₹ 199 करोड़ का प्रावधान जो वर्ष 2014-15 की तुलना में ₹ 25 करोड़ अधिक।
- अंतर्राज्यीय वायु सेवाओं को प्रोत्साहन देने, पर्यटन अधोसंरचना एवं धार्मिक पर्यटन तथा साहसिक खेलकूदों को बढ़ावा देने के लिये पर्यटन विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाओं में वर्ष 2015-16 में ₹ 134 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।
- सिंहस्थ महाकुंभ की तैयारियां के अंतर्गत उज्जैन में वर्ष-प्रतिपदा से लेकर अगले वर्ष कुंभ अंत तक लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रत्येक माह किये जायेंगे।
- कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने के लिये खंडवा एवं विदिशा में टैगोर कला संकुल की स्थापना की जाना प्रस्तावित।
- सांस्कृतिक एवं पुरातत्विक गतिविधियों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 142 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

उद्योग

- प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिये GIS-2014 का सफल आयोजन इंदौर में किया गया। समिट के दौरान औद्योगिक गतिविधियों के विकास हेतु नई उद्योग संवर्धन नीति, 2014 घोषित की गई।
- विभिन्न महत्वपूर्ण क्षेत्रों यथा; पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, बी.पी.ओ., लोक स्वास्थ्य, नवकरणीय ऊर्जा, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास, कृषि प्रसंस्करण, ऊर्जा, वेयर हाउसिंग एवं रक्षा उत्पाद में निवेश आकर्षित करने के लिये विशिष्ट नीतियां लागू की हैं। उद्योग स्थापित किये जाने हेतु निर्धारित प्रक्रियाओं का सरलीकरण कर एक ही स्थान से अनुमतियाँ जारी करने की व्यवस्था की गई है। GIS-2014 में 3 हजार 176 निवेशकों द्वारा लगभग 5 लाख 89 हजार करोड़ के निवेश हेतु रुचि प्रदर्शित की गई है।

- पूर्व से संचालित स्वरोजगार योजनाओं का युक्तियुक्तकरण किया जाकर मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना प्रारंभ की गई हैं।
- निवेश संवर्धन सहायता, औद्योगक क्षेत्रों में अधोसंरचना विकास, स्वरोजगार योजनाओं आदि के लिये वाणिज्य उद्योग तथा रोजगार विभाग अंतर्गत वर्ष 2015-16 में ₹ 1,781 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 691 करोड़ अधिक है।
- प्रदेश में मलबरी रेशम उत्पादन को प्रोत्साहित करने हेतु वर्ष 2015-16 में मलबरी रेशम उत्पादन अंतर्गत 24,940 हितग्राहियों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य।
- कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग हेतु वर्ष 2015-16 में ₹ 316 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 23 करोड़ अधिक है।

न्याय प्रशासन

- न्यायालयों एवं न्यायिक अधिकारियों के कार्यालयों एवं आवासों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 160 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित। न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिये 200 नवीन पदों का सृजन।
- विधि एवं विधायी कार्यों के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 842 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

राजस्व

- प्रदेश के भू-अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण एवं भूमि नक्शों के डिजिटाईजेशन तथा तहसील के अभिलेखागारों के आधुनिकीकरण का कार्य प्रारंभ। कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों के ऑनलाइन मॉडीफिकेशन तथा अपडेशन हेतु वेब बेस्ड जी.आई.एस. एप्लीकेशन द्वारा रियल टाईम अपडेटेड भू-अभिलेख जनता को उपलब्ध कराया जायेगा।
- वर्ष 2015-16 में राजस्व विभाग हेतु ₹ 3,398 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित।

कानून व्यवस्था

- दृष्टिपत्र-2018 को ध्यान में रखते हुये पुलिस व्यवस्था को और अधिक जनोन्मुखी एवं उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से डायल-100 योजना का आकार बढ़ाकर ₹ 632 करोड़ किये जाने का निर्णय।
- पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों के संचालन एवं निशाने बाजी में निपुण बनाये रखने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये ऐसे जिले जहां फायरिंग रेंज उपलब्ध नहीं है उन जिलों में फायरिंग रेंज बनाये जाने की योजना प्रस्तावित है।

- केन्द्रीय जेल भोपाल में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के साथ केन्द्रीय जेल उज्जैन में भी नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रारंभ किये जाने का निर्णय।
- गृह तथा जेल विभाग के लिये वर्ष 2015-16 में ₹ 5,654 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है जो वर्ष 2014-15 के बजट प्रावधान से ₹ 607 करोड़ अधिक है।

शासकीय सेवकों को सुविधायें

- राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्यों को उनके संपूर्ण शासकीय सेवाकाल में न्यूनतम 3 उच्चतर समयमान वेतनमान दिये जाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है। राज्य की महिला शासकीय सेवकों को पूरे सेवाकाल में 730 दिवस का शिशु पालन अवकाश दिया जाना प्रस्तावित।
- प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के शासकीय सेवकों को उपलब्ध कराई जाने वाली वर्दी की सिलाई की दरों में 25 प्रतिशत की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित। नगर सेना के कंपनी कमाण्डर मेजर, कंपनी क्वाटर मास्टर, स्वयं सेवा प्लाटून कमाण्डर, स्वयं सेवा कंपनी कमाण्डर, हवलदार, नायक, लांस सैनिक, सैनिक के मानवेतन तथा भोजन राशि में क्रमशः 10-10 प्रतिशत की वृद्धि की जाना प्रस्तावित।

- अंशकालिक लिपिक, अंशकालिक भृत्य, अंशकालिक सफाई कामगार को प्राप्त हो रहे पारिश्रमिक में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इस वृद्धि के परिणामस्वरुप उन्हें क्रमशः मासिक ₹ 5000, ₹ 4000 एवं ₹ 2000 प्राप्त होंगे।
- राज्य के पेंशनरों एवं परिवार पेंशनरों के द्वारा पेंशन वितरण कार्यालय में जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु व्यक्तिगत उपस्थिति की अनिवार्यता के विकल्प के रूप में ऑन लाईन जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की सुविधा प्रांरभ।

सुशासन

- प्रदेश के नागरिकों की समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिये पृथक लोक सेवा प्रबंधन विभाग का गठन।
- प्रदेश में संचालित सी. एम. हेल्प लाईन को विस्तृत बनाने एवं अन्य सेवाओं से जोड़ने के लिये ₹ 300 करोड़ की सर्व सेवा परियोजना प्रारंभ की जाना प्रस्तावित। योजनांतर्गत सिंगल सर्विस डिलेवरी गेटवे, कलेक्टर कार्यालय के बेक-एण्ड आफिस ऑटोमेशन, अन्य विभिन्न प्रकार की दी जाने वाली सेवाओं के प्रमाण पत्रों के लीगेसी डाटा का डिजिटाईजेशन आदि कार्य किये जायेंगे।
- वित्तीय समावेशन के कार्य को आगे बढ़ाते हुये प्रधानमंत्री जन-धन योजनांतर्गत ऐसे सभी 49 लाख 47 हजार परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं जो अब तक बैंक से लेन-देन नहीं करते थे। प्रदेश के सभी परिवारों के बैंक खाते खोले जा चुके हैं तथा इस योजनांतर्गत अब तक 91 लाख रूपे कार्ड उपलब्ध कराये जा चुके हैं।
- राज्य कोष में राशियां जमा करने को सुविधाजनक बनाये जाने की दृष्टि से वित्त विभाग अंतर्गत संचालित वेब साईट www.mptreasury.org पर माह सितम्बर 2014 से साईबर ट्रेजरी में रियल टाईम चालान जनरेशन की सुविधा लागू की गई है।
- खनिज संसाधन से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिये ई-खनिज परियोजना लागू किया जाना प्रस्तावित।

वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान में आयोजना अंतर्गत विकास के विभिन्न शीर्षों के लिये प्रावधानों का विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विकास शीर्ष	2014-15	2015-16
1.	कृषि एवं संबद्ध सेवायें	5020.18*	5158.37
2.	ग्रामीण विकास	12456.33	12628.26
3.	सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	4578.41	6255.83
4.	उद्योग एवं खनिज	1224.68	1940.93
5.	परिवहन	2511.51	3929.44
6.	विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	259.56	267.87
7.	सामान्य आर्थिक सेवायें	666.61*	661.01
8.	सामाजिक सेवायें	22983.12	26206.14
9.	सामान्य सेवायें	283.22	1733.06
* 13 वें वित्त आयोग, नैसर्गिक विपत्तियों तथा चुनाव आयोजन संबंधी कुछ विशिष्ट व्यय प्रावधानों को छोड़कर।			

वर्ष 2015-16 के बजट अनुमान - विभागवार विवरण

(राशि करोड़ में)

स.क्र.	विभाग	बजट अनुमान 2014-15	बजट अनुमान 2015-16
1.	सामान्य प्रशासन	476.09*	494.14
2.	गृह	4816.96	5383.49
3.	जेल	229.78	270.64
4.	वाणिज्यिक कर	2553.41	2595.54
5.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	98.04	117.23
6.	राजस्व	2749.60*	3398.01
7.	परिवहन	142.33	140.63
8.	खेल एवं युवक कल्याण	174.37	199.63
9.	वन	2591.57*	2698.08
10.	वाणिज्य , उद्योग एवं रोजगार	1090.46	1781.42
11.	ऊर्जा	7985.41	9704.08
12.	किसान कल्याण तथा कृषि विकास	2768.58*	2784.79
13.	सहकारिता	902.53	892.14
14.	श्रम	146.12	182.26
15.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4763.98*	4740.39
16.	नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग	5895.26	6550.95
17.	लोक निर्माण	4267.47	5911.80

स.क्र.	विभाग	बजट अनुमान 2014-15	बजट अनुमान 2015-16
18.	स्कूल शिक्षा	14853.37	15749.47
19.	विधि एवं विधायी कार्य	867.54*	842.66
20.	पंचायत	2923.03*	3135.25
21.	योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी	675.11*	609.25
22.	जन संपर्क	236.20	252.86
23.	अनुसूचित जनजाति कल्याण	4868.21	5475.13
24.	सामाजिक न्याय	1424.69	1359.38
25.	नर्मदा घाटी विकास	1652.56	2045.69
26.	खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति	1095.08*	1314.88
27.	संस्कृति	146.92	142.94
28.	जल संसाधन	4062.17	5417.45
29.	पर्यटन	127.30*	134.24
30.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	2110.42	2242.43
31.	पशु पालन	861.58	864.78
32.	मछली पालन	88.62	81.35
33.	उच्च शिक्षा	1318.80	2001.57
34.	विज्ञान और प्रौद्योगिकी	34.42	218.24
35.	जन शक्ति नियोजन	690.09	800.64
36.	लोक सेवा प्रबंधन	74.76	107.50
37.	विमानन	21.51	22.34
38.	भोपाल गैस त्रासदी, राहत एवं पुनर्वास	90.64	97.80
39.	संसदीय कार्य	68.07	72.76
40.	महिला एवं बाल विकास	4056.11	4483.86
41.	ग्रामोद्योग	293.08	316.88
42.	चिकित्सा शिक्षा	582.45	649.23
43.	पिछड़ा वर्ग एवं अल्प संख्यक कल्याण	829.49	950.21
44.	अनुसूचित जाति कल्याण	1337.12	1571.83
45.	ग्रामीण विकास	11021.96*	11070.58
46.	उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण	597.62	608.23
47.	आयुष	497.26	392.01
48.	नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा	72.31	54.64
49.	विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध-घुमक्कड़ जाति कल्याण	27.94	34.14
* 13 वें वित्त आयोग, नैसर्गिक विपत्तियों तथा चुनाव आयोजन संबंधी कुछ विशिष्ट व्यय प्रावधानों को छोड़कर।			

वर्ष 2003-04 से वर्ष 2015-16 तक वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक विवरण

क्रमांक	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2015-16	टिप्पणी
1	कुल व्यय	₹ 21,647 करोड़	₹ 1,31,199 करोड़	छः गुना से अधिक वृद्धि
2	राज्य के स्वयं के करों से प्राप्त राजस्व	₹ 6,805 करोड़	₹ 43,447 करोड़	छः गुना से अधिक वृद्धि
3	राज्य आयोजना व्यय	₹ 5,684 करोड़	₹ 60,349 करोड़	दस गुना से अधिक वृद्धि
4	पूँजीगत परिव्यय	₹ 2,883 करोड़	₹ 22,364 करोड़	साढ़े सात गुना से अधिक वृद्धि
5	ब्याज भुगतान	₹ 3,206 करोड़	₹ 8,058 करोड़	बजट की छः गुना वृद्धि की तुलना में ब्याज भुगतान में केवल ढाई गुना की वृद्धि
6	राजस्व घाटा/आधिक्य	₹ 4,475 करोड़ (राजस्व घाटा)	₹ 5,588 करोड़ (राजस्व आधिक्य)	वर्ष 2004-05 से राजस्व आधिक्य की स्थिति है
7	कुल राजस्व प्राप्तियों से ब्याज भुगतान का प्रतिशत	22.44 प्रतिशत	7.04 प्रतिशत	कम होकर लगभग एक तिहाई हुआ
8	कुल आयोजना व्यय का कुल व्यय से प्रतिशत	26.26 प्रतिशत	46.00 प्रतिशत	डेढ़ गुना से अधिक वृद्धि हुई
9	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में पूँजीगत परिव्यय का	2.80 प्रतिशत	3.99 प्रतिशत	लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई

क्रमांक	वित्तीय संकेतक	वर्ष 2003-04	वर्ष 2015-16	टिप्पणी
	प्रतिशत			
10	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में राजकोषीय घाटे का प्रतिशत	7.12 प्रतिशत	2.99 प्रतिशत	FRBM Act द्वारा निर्धारित 3 प्रतिशत की सीमा के अन्दर
11	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल ऋण का प्रतिशत	33.71 प्रतिशत	19.62 प्रतिशत	एक तिहाई से अधिक कमी
12	राज्य सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में शुद्ध ऋण का प्रतिशत	31.18 प्रतिशत	12.08 प्रतिशत	दो तिहाई से अधिक कमी
13	वर्तमान मूल्यों पर राज्य सकल घरेलू उत्पाद	₹ 1,02,839 करोड़	₹ 5,60,570 करोड़	पाँच गुना से अधिक वृद्धि

राजकोषीय सूचक - चल लक्ष्य (रोलिंग टारगेट्स)

अनु.क्र.	राजकोषीय सूचक	लेखा 2013-14	पुनरीक्षित अनुमान 2014-15	बजट अनुमान 2015-16	आगामी 3 वर्ष का लक्ष्य		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजस्व आधिक्य	1.30	1.38	1.00	1.27	0.72	0.75
2	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार राजकोषीय घाटा	2.19	3.00	2.99	2.91	3.00	3.00
3	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया (देनदारियाँ) दायित्व	22.78	25.22	23.77	23.79	23.91	24.00
4	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) के प्रतिशत के अनुसार कुल बकाया परादेय ऋण	18.61	20.70	19.62	20.11	20.65	21.11

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन

छूट

- म.प्र. गृह निर्माण मण्डल, विकास प्राधिकरण, राज्य सहकारी आवास संघ, तथा नगरीय निकायों के विक्रय एवं पट्टे की रजिस्ट्रियों पर ई.डब्ल्यू.एस. के जैसे ही एल.आई.जी. वर्ग को भी स्टाम्प शुल्क से शत्–प्रतिशत छूट दी जाएगी।
- शहरी गरीबों के लिए BSUP एवं IHSDP योजना के अंतर्गत निर्मित होने वाले आवासीय मकानों के पट्टों की रजिस्ट्री पर स्टाम्प शुल्क में दी गई छूट के साथ अब इनकी रजिस्ट्री पर सिर्फ 1000/– रूपये की रजिस्ट्री फीस ली जाएगी।

स्टाम्प शुल्क अधिरोपण

- रिवाल्वर तथा पिस्टल के लायसेंस दस्तावेज पर 10,000/– रूपये व इनके नवीनीकरण पर 5,000/– रूपये का ; तथा अन्य हथियारों के लायसेंस दस्तावेज पर 2,000/– रूपये व इनके नवीनीकरण पर 1,000/– रूपये का स्टाम्प शुल्क लगेगा।
- औद्योगिक इकाईयों के चालू समुत्थान (going concern) के रूप में हस्तांतरित प्लांट, मशीनरी एवं अन्य चल सम्पत्तियों के मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की अधिकतम राशि को 10 करोड़ रूपये से बढ़ाकर 25 करोड़ रूपये किया गया है।
- स्टाम्प अधिनियम के तहत स्थावर सम्पत्ति से संबंधित लीव एण्ड लायसेंस अथवा कंडक्टिंग लायसेंस पर पट्टा दस्तावेज के अनुसार स्टाम्प शुल्क लगाया जाएगा।
- विक्रय प्रमाण पत्र पर क्रय धन की रकम या सम्पत्ति के बाजार मूल्य पर, इनमें से जो भी अधिकतम हो, पर स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा।
- वर्क कॉन्ट्रेक्ट दस्तावेज पर बैंक गारंटी दस्तावेज के समान स्टाम्प शुल्क लिया जाएगा।

वाणिज्यिक कर विभाग

- शक्तिचलित कृषि यंत्र लेजर लैंड लेवलर, सीड कम फर्टिलाईजर ड्रिल, रीपर कम बाइंडर तथा स्ट्रॉ रीपर, रेक तथा थ्रेशर को करमुक्त।
- राज्य में निर्मित जूते/चप्पल और उनके स्ट्रैप्स खुदरा विक्रय मूल्य रू. 500 (पूर्व में रू. 250) तक करमुक्त।
- बाईसिकल्स, ट्राईसिकल्स, साईकल रिक्शा तथा उनके पुर्जे (टायर, ट्यूब सहित) एवं एसेसरीज को करमुक्त।
- अभ्यास–पुस्तिकाएं, ग्राफ बुक्स, ड्राइंग बुक्स एवं लेबोरेटरी नोट बुक्स करमुक्त।
- बेबी डायपर, हाईड्रोलिक ट्रॉली, असालिया, भाप (स्टीम), हाई वोल्टेज आईसोलेटर्स (डिसकनेक्टर्स), बैटरी चलित कार तथा बैटरी चलित रिक्शा, बायो फ्यूल से जलने वाला स्मोकलेस चूल्हा, ट्रेक्टर की ऐसेसरीज, गैस गीजर/चूल्हा, इंडक्शन चुल्हा, डेन्टल फिलिंग मटेरियल, शैक्षणिक विज्ञान किट, एलबम (फोटो एवं स्टांप एलबम), ऑडियो टेप रिकॉर्डर एवं ऑडियो केसेट, स्कूल बैग, हाथीदांत की चूड़ियॉ, कार्बन पेपर, इलेक्ट्रॉनिक खिलोने, लेडिज हैंड बैग, पर्स एवं वेनिटी बैग, ताले एवं चाबियॉ, सोया मिल्क पाउडर, रेजर एवं रेजर ब्लेड, शू पॉलिश एवं शू क्रीम, एल्युमिनियम कम्पोजिट पैनल, नाइट्रोजन गैस, कलौंजी का तेल, ब्राह्मी, लिक्विड नाइट्रोजन, हीलियम तथा आरगन आदि पर कर 13 प्रतिशत् से 5 प्रतिशत्।
- तंबाकू रहित समस्त प्रकार के पान मसालों एवं गुटका पर वेट 13 प्रतिशत् से बढ़ाकर 27 प्रतिशत्।
- सभी प्रकार के सोया मील सहित डि–आईल्ड केक/कॉटन सीड आईल केक/ मस्टर्ड आईल केक/मक्का खली पर 1 प्रतिशत् वेट।
- मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 की अनुसूची 2 में करयोग्य मालों पर वेट 13 प्रतिशत् से 14 प्रतिशत्।
- रेत, गिट्टी तथा फ्लोरिंग स्टोन पर अधिसूचित दर रेत/गिट्टी 20 रू. को 35 रू. प्रति घन मीटर तथा फ्लोरिंग स्टोन 1 रू./ 50 पैसे/25 पैसे को 2.50 रू./1.50 रू. /75 पैसे प्रति वर्ग फीट।
- कर मुक्त मालों के निर्माण में उपयोग/उपभोग होने वाले कच्चे मालों तथा राज्य के बाहर स्टॉक ट्रांस्फर किए जाने वाले मालों पर कर का भार 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत।
- तांबा, पीतल, कांसे, एल्यूमिनियम की शीट, सर्कल, लीफ स्प्रिंग, कॉपर वायर रोड, वायर वार, कॉपर कैथोड एवं क्वायन ब्लैंक आदि पर दी गई केन्द्रीय विक्रयकर की रियायतों को वर्ष 2015–16 में भी यथावत्।
- हैंडलूम कपड़ा निर्माता, खादी ग्रामोद्योग इकाईयों तथा पाठ्य पुस्तक निगम को कच्चे माल, समाचार–पत्रों के प्रकाशन हेतु अखबारी कागज, विनिर्माण हेतु लोहा तथा इस्पात एवं चमड़ा, खाली सिक्कों के निर्माण हेतु धातु, रिफाईनिंग हेतु क्रूड खाद्य तेल, 1 करोड़ से अनधिक वार्षिक क्रय वाले लघु उद्योगों हेतु तिलहन, बीड़ी, प्लास्टिक के वाटर स्टोरेज टैंक, टिंबर, क्लिंकर, शक्तिकरघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा एवं चाय के क्रय पर प्रवेश कर में दी गई रियायतें वर्ष 2015–16 में भी यथावत।
- राज्य के बाहर से उपयोग/उपभोग हेतु नेचुरल गैस सीएनजी सहित के आयात पर बढ़ी हुई दर 10 प्रतिशत् से प्रवेशकर।
- 1 अप्रैल, 2006 के पूर्व से स्थापित, गैर वातानुकूलित सिनेमाघर/नगर निगम सीमा के बाहर स्थित वातानुकूलित सिनेमाघर में मनोरंजन कर से छूट की सीमा रू. 50 से बढ़ाकर रू. 100 सिंगलेक्स सिनेमाघरों पर ही।
- नान कामर्शियल स्पोर्टस् क्लब के द्वारा अपने नियमित सदस्यों हेतु आयोजित खेल गतिविधियों को मनोरंजन कर से मुक्त।
- मध्यप्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड को संरक्षित पुरातत्वीय स्मारक में ''ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शन'' एवं ''पेडल बोट से संचालित जल क्रीडा'' के संबंध में अवधि 31.3.2015 तक मनोरंजन कर से दी गई छूट वर्ष 2015–16 में भी यथावत्।
- शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को 31.3.2015 तक वृत्ति कर से दी गई छूट को वर्ष 2019–20 तक यथावत्।
- मध्यप्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन। दुर्घटना अथवा अन्य कारण से मृत्यु होने पर या अपंगता की स्थिति में आर्थिक सहायता। चिकित्सा/बच्चों की शिक्षा आदि के लिए भी आर्थिक सहायता।
- आसूचनादाता /कर्मचारियों के लिए पुरूस्कार योजना।